प्रयास करते हैं। इस विषय में सरकार की तरफ से कोई दिशानिर्देश जारी करने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। साधारणतया सरकारी क्षेत्र के बैंक यह सुनिश्चित करते हैं कि ऋण जिस प्रयोजन के लिए दिए जा रहे हैं, उन्हीं के लिए उसका उपयोग हो। इसके लिए वे उधारकर्ताओं के गोदामों/स्थलों का आवधिक निरीक्षण करते हैं और उनसे मासिक स्टाक् विवरण तथा आर्थिक आंकड़े आदि मंगवाते हैं। तथापि समय समय पर दुर्विनियोजन के कुछ मामले बैंकों के सामने आते हैं और वे मामलों से निपटने के लिए उचित कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वार्षिक निरीक्षण के दौरान जब कभी ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें जिस प्रयोजन के लिए ऋण लिया गया, उसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए न किया गया हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक उपचारी कार्रवाई के लिए मामले को संबंधित बैंक के साथ उठाता है। यदि ऋण के दुर्विनियोजन में बैंक कर्मचारियों का शामिल होना/मौन सम्मति का पता चलता है तो बैंक चूक-कर्ता अधिकारी के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करते है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ग्रामीण बैंकों के प्रशासनिक व्यय की जांच

863. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण बैंकों के घाटे को कम करने हेतु वित्तीय प्रशासनिक व्यय की विस्तृत जांच आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के बाद कौन-कौन से तथ्य सरकार के सामने आये है; और

(ग) जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सावधिक निरीक्षण करता है और प्रशासकीय/वित्तीय व्यय और अन्य परिचालनात्मक मामलों से संबंधित जिन अनियमितताओं का पता चलता है, बैंकों से उन मामलों को तत्काल सुधारने के लिये कहा जाता है और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालनों और उनके वित्तीय तथा प्रशासनिक खर्चों की निगरानी प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखों और नाबार्ड में विश्लेषण के लिये तैयार किये गए तिमाही परिचालनात्मक आंकड़ों के माध्यम से की जाती है। इन आंकड़ों के आधार पर कई कार्य निष्पादनों के पैरामीटर तैयार किये जाते हैं और बैंकों को तदनुसार सलाह दी जाती है।

(ग) यदि नाबार्ड के निरीक्षण रिपोर्ट या कार्यनिष्पादन की निगरानी से किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त जब कभी जनता, ऋणकर्ता इत्यादि आदि से शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आवश्यक कार्रवाई के लिये मामले की तुरंत छानबीन की जाती है।

पिछड़े क्षेत्रों हेतु उदार ऋण और रियायतें दिया जाना

864. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु उदारतापूर्वक ऋण और कुछ रियायतें देने के संबंध में बैंकों को निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त निदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पिछड़े क्षेत्र कौन-कौन से है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (ग) जुटाये गये संसाधनों के अभिनियोजन में ग्रामीण शहरी असमानताओं को कम करने और संतुलित ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्र का निर्माण करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक का यह अनुदेश है कि वे अखिल भारती स्तर पर अपनी ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं के लिये अलग-अलग 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात (सी डी आर) प्राप्त करें। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सलाह दी है कि यद्यपि, शाखावार जिलावार या क्षेत्रवार अलग अलग यह अनुपात प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, फिर भी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विभिन्न राज्यों के बीच अनुपात में अधिक असमानता से बचा जाये। तथापि, इस बारे में राज्यवार/क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये है। मार्च 1993 (अद्यतन उपलब्ध) के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार ग्रामीण शाखाओं और अर्द्धशहरी शाखाओं के लिये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात क्रमशः 56.9 प्रतिशत और 45.0% था। राज्यवार स्थिति विवरण में दर्शायी गई है।